"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017—भाद्र 10, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग (पेंशन निराकरण समिति के कार्य हेतु) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-41/2016/एक-6.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 91/126/साप्रवि/6/2001, दिनांक 13 अगस्त, 2001 द्वारा बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स भाग-1, सेक्शन-एक की कंडिका-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, बजट को संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, रायपुर को पदेन विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-41/2016/एक/6, दिनांक 10 जनवरी, 2016 द्वारा "संयुक्त सचिव/उप सचिव बजट" के स्थान पर "विशेष सचिव/संयुक्त सचिव" छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग प्रतिस्थापित करते हुए उक्त संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रभावशील माना गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए "विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, बजट" के स्थान पर "विशेष सचिव/ संचालक बजट/संयुक्त सचिव" छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग प्रतिस्थापित करता है.

3. यह प्रतिस्थापना दिनांक 29-05-2017 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरजलाल, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2017

क्रमांक 859/LV-1-514-2017-May/1-8/स्था.—श्री जीवन सिंह राजपूत, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) का दिनांक 15-05-2017 से 31-05-2017 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जीवन सिंह राजपूत आगामी आदेश तक अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जीवन सिंह राजपूत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जीवन सिंह राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मेरी खेस्स, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2017

क्रमांक 775/LV-31-13-2017-Apr./1-8.—श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 03-03-2017 से 14-03-2017 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 787/LV-18-11-2017-March./1-8.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दिनांक 17-04-2017 से 26-04-2017 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 789/LV-8-13-2017-March./1-8/स्था.—श्रीमती तनूजा सलाम, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, का दिनांक 01-04-2017 से 19-04-2017 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती तनूजा सलाम, आगामी आदेश तक अवर सचिव, परिवहन विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती तनूजा सलाम, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तनूजा सलाम, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 793/LV-4-108-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री महेश साकल्ले, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग का दिनांक 10-04-2017 से 22-04-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री महेश साकल्ले, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री महेश साकल्ले, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश साकल्ले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 795/LV-42-42-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा विभाग का दिनांक 15-05-2017 से 27-05-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 797/LV-14-66-2017-March./1-8/स्था.—श्री रविन्द्र मेढ़ेकर स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय का दिनांक 22-05-2017 से 27-05-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रविन्द्र मेढ़ेकर स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री रविन्द्र मेढ़ेकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविन्द्र मेढ़ेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 801/LV-26-48-2017-May/1-8/स्था.—श्री भरत लाल बंजारे, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को दिनांक 01-05-2017 से 09-05-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बंजारे, आगामी आदेश तक में अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बंजारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंजारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 803/LV-42-33-2017-March./1-8.—श्रीमती शांता खरे, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय का दिनांक 03-05-2017 से 09-05-2017 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती खरे आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती खरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 805/LV-4-67-2017-March./1-8/स्था.—श्री एस. एन. नामदेव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, का दिनांक 26-03-2017 से 09-04-2017 तक 15 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. नामदेव, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एन. नामदेव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. नामदेव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक 977/LV-4-82-2017-March./1-8/स्था.—श्री राघवेन्द्र कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 17-04-2017 से 19-05-2017 तक 33 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राघवेन्द्र कुमार, आगामी आदेश तक में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राघवेन्द्र कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक 979/LV-Seco-2-2017-May/1-8/स्था.—श्री पी. एन. एस. यादव, सहायक सेनानी, (सुरक्षा अधिकारी) मंत्रालय, को दिनांक 25-05-2017 से 08-06-2017 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. एस. यादव, आगामी आदेश तक सहायक सेनानी, (सुरक्षा अधिकारी) मंत्रालय, के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक 981/LV-1-242-2017-March./1-8/स्था.—श्री पी. के. जनवदे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 17-04-2017 से 31-05-2017 तक 45 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जनवदे, आगामी आदेश तक में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जनवदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जनवदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक 993/Lv-Cms-178-2017-may/1-8.—श्री सन्तोष कुमार पवार, स्टाफ आफिसर, संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री का दिनांक 01-06-2017 से 08-06-2017 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सन्तोष कुमार पवार, स्टाफ आफिसर, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सन्तोष कुमार पवार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सन्तोष कुमार पवार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक 1065/LV-1-406-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री सुधीर काले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-13) का दिनांक 15-05-2017 से 03-06-2017 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर काले, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुधीर काले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर काले, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक 1075/LV-4-160-2017-May/1-8/स्था.—श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 01-06-2017 से 08-06-2017 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एक्का अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक 1087/LV-100-21-2017-March/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजूरकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का दिनांक 22-05-2017 से 26-05-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजूरकर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एन. राजूरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एन. राजूरकर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक 1089/LV-17-102-2017-Jun/1-8/स्था.—श्री एस. एन. मोटवानी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का दिनांक 12-06-2017 से 16-06-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मोटवानी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एन. मोटवानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मोटवानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक 1091/LV-44-20-2017-May/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 22-05-2017 से 27-05-2017 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चौधरी आगामी आदेश तक उप सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक 1093/LV-4-123-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री अतुल कुलश्रेष्ठ, शोध अधिकारी, वित्त विभाग, को दिनांक 22-05-2017 से 08-06-2017 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुलश्रेष्ठ, आगामी आदेश तक शोध अधिकारी वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अतुल कुलश्रेष्ठ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल कुलश्रेष्ठ, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्रमांक 1157/LV-1-607-2017-Jun/1-8/स्था.—श्री जीवन सिंह राजपूत, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) का दिनांक 22-06-2017 से 27-06-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जीवन सिंह राजपूत, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जीवन सिंह राजपूत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जीवन सिंह राजपूत, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक 1179/LV-23-21-2017-Jun/1-8/स्था.—श्री एन. आर. रात्रे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 09-06-2017 से 18-06-2017 तक 10 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. आर. रात्रे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एन. आर. रात्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. आर. रात्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक 1181/LV-4-127-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री अरविंद कुजूर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग का दिनांक 22-05-2017 से 21-06-2017 तक 31 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरविंद कुजूर, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरविंद कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविंद कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक 1183/LV-4-157-2017-May/1-8/स्था.—श्री नीरज कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग का दिनांक 29-05-2017 से 24-06-2017 तक 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार मिश्रा, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक 1185/LV-52-20-2017-March/1-8/स्था.—श्री एच. के. उईके, स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 22-05-2017 से 15-06-2017 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. उईके, आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एच. के. उईके को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. उईके अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक 1187/LV-1-345-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री ए. एच. युसुफी, लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 22-05-2017 से 28-06-2017 तक 38 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. युसुफी, आगामी आदेश तक लेखाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) में पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री युसुफी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. युसुफी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्रमांक 1251/153/अव./2017/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (संविदा), मुख्यमंत्री सचिवालय, को दिनांक 29-05-2017 से 03-06-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर मुख्यमंत्री सचिवालय में पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिसोदिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017

क्रमांक 1259/LV-22-60-2017-May/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, तत्कालीन, उप सचिव, वर्तमान में संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 22-05-2017 से 08-06-2017 तक कुल 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री याकुब खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक 1273/LV-1-663-2017/July/1-8/स्था.—श्री मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2), को दिनांक 12-06-2017 से 01-07-2017 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुन्द गजभिये, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुन्द गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्रमांक 4973/4332/2017/18.—श्री अभिनव अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर को दिनांक 28-06-2017 से 01-07-2017 तक (04 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक/748 एफ 2017-04-03705/स्था./चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600-39100+ग्रेड वेतन 5400 में कार्यरत सुश्री ज्योत्सना तिवारी, सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600-39100+ग्रेड वेतन 6600 में क्रमोन्नति प्रदान करते हुए नियुक्त करता है. क्रमोन्नति की देयता तिथि 21-12-2011 होगी.

2. सुश्री ज्योत्सना तिवारी को उप संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 6-8/2017/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में (वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री गुलाब सिंह वर्मा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, महासमुन्द वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-तीन
2.	श्री प्रकाश गुप्ता, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कवर्धा वृत्त.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. श्री संदीप यदु, अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-तीन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-तीन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/3778/2017/42.—Certified That we have in the afternoon of this days respectively made over and received charge of the office of Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department in pursuance of G.A.D. order No. E-1-1-2017/1/2 dated 11-07-2017 and that the officer receiving charge traveled during joining time on 12-07-2017 (mentione dates).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. व्ही. दुपारे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-10/2007/ग्यारह/(छः) यतः.—राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल/काउंसिलों के कार्यों के सुविधाजनक क्रियान्वयन हेतु लोकहित में नियम बनाना आवश्यक है;

अतएव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 30 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) सहपठित धारा 21 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल नियम, 2006 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल नियम, 2017 कहलायेंगे;

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा;

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) ;

(ख) "माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम" से अभिप्रेत है माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) ;

(ग) "काउंसिल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल, जो उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत शासन द्वारा स्थापित किया गया हो ;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (एक) के अंतर्गत नियुक्त काउंसिल का अध्यक्ष ;

(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

(च) "संस्था" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (2) एवं (3) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विवाद समाधान सेवा प्रदान करने वाला कोई संस्था या केंद्र ;

(छ) "सदस्य" से अभिप्रेत है काउंसिल का सदस्य ;

(ज) "एमएसई" इकाई से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम ;

(झ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त है तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में उनके लिये समनुदेशित है.

3. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल की स्थापना.—**

(1) शासन, कम से कम एक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल स्थापित करेगा. परंतु यह कि, यदि कार्य के आधार पर मांग की जाती हो तो वह ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल की स्थापना भी कर सकता है.

(2) शासन, इस प्रकार नियुक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल को सचिवालय सहायता भी दे सकता है। वह सचिवालय के किसी अधिकारी को काउंसिल के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु अभिहित भी कर सकता है, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल द्वारा काउंसिल की ओर से नोटिस या आदेश जारी करने हेतु सशक्त हो सकेगा.

(3) शासन, काउंसिल की सहायता के लिए एक विधि विशेषज्ञ उपलब्ध करा सकेगा.

(4) शासन, आवेदन प्रस्तुत करते समय भुगतान किए जाने वाले कोई शुल्क और/या प्रसंस्करण प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा.

(5) काउंसिल के सचिवालय की अपनी स्वयं की मुद्रा होगी.

4. **अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति.–** शासन, अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (एक) में विद्यमान उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में उद्योग विभाग के निदेशक की नियुक्ति करेगा. तथापि, अन्य वरिष्ठ अधिकारी को भी सीमित प्रयोजन के लिए काउंसिल के अध्यक्ष के रुप में अभिहित किया जा सकता है.

5. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति की रीति.–**

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल में अध्यक्ष सहित इतने सदस्य जो 3 सदस्यों से कम न हो किन्तु 5 सदस्यों से अधिक न हो, सम्मिलित होंगे.

(2) सदस्य, अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (दो), (तीन) एवं (चार) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे.

(3) (एक) धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (एक), (तीन) एवं (चार) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य तब तक काउंसिल के सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस श्रेणी या हितों, जिसके लिए वे नियुक्त किये गये हैं, का प्रतिनिधित्व करते हैं.

(दो) धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (दो) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य, फेसीलिटेशन काउंसिल में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि पूरा करने या उप–नियम (6) की शर्तों की पूर्ति करने, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक काउंसिल के सदस्य बने रहेंगे. धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (दो) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे.

(4) काउंसिल के सदस्य की मृत्यु होने या त्यागपत्र देने या त्यागपत्र दे दिया जाना समझे जाने या पद से हटाए जाने या सदस्य के रूप में कार्य करने में अक्षम होने की स्थिति में, शासन उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा.

(5) काउंसिल का कोई भी सदस्य, शासन को एक माह का लिखित नोटिस देकर काउंसिल से त्यागपत्र दे सकता है।

(6) शासन किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा,–

(क) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; अथवा

(ख) यदि वह दिवालिया है या दिवालिया हो जाता है या अपने ऋणदाताओं को ऋण भुगतान करने में अक्षम हो ; अथवा

(ग) यदि वह किसी भी अपराध, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम क्र. 45) के अंतर्गत दंडनीय है, के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो ; अथवा

(घ) यदि वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार काउंसिल की तीन बैठकों तथा किसी मामले में लगातार पांच बैठकों से स्वयं को अलग रखता है; अथवा

(ड.) वह ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है जो शासन की राय में, सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं.

6. **काउंसिल के सदस्यों को मानदेय.–** पारिश्रमिक, मानदेय अथवा शुल्क और कोई भत्ते जो सदस्यों को भुगतान किया जा सकता है, ऐसी दरों पर देय होगी जैसा कि शासन द्वारा अनुमोदित या अधिसूचित किया जाये.

7. **काउंसिल के कार्यों के निष्पादन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया.—**

(1) एक व्यथित सूक्ष्म या लघु उद्यम इकाई, इन नियमों की अनुसूची—एक में दिए गए प्रारूप में, संबंधित क्षेत्र की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल को संदर्भ भेज सकती है. संदर्भ के साथ व्यथित सूक्ष्म या लघु उद्यम इकाई की उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) नंबर, मोबाईल नंबर तथा ई—मेल पता, जैसा कि अनुसूची—एक में उपबंधित है, अवश्य होना चाहिये.

(2) ऐसे संदर्भों के साथ शासन द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क अथवा प्रसंस्करण प्रभार जैसा कि नियम 3 के उप—नियम (4) के अधीन उपबंधित है तथा व्यथित सूक्ष्म या लघु उद्यम इकाई से इस आशय का वचनपत्र कि इस विवाद पर सिविल न्यायालय के समक्ष कोई संदर्भ नहीं भेजे गये है, संलग्न करना होगा.

(3) आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म या लघु उद्यम इकाई से संदर्भ प्राप्त होने पर काउंसिल का सचिवालय, इस प्रयोजन के लिए सृजित वेब पोर्टल में डाटा अपलोड करेगा.

(4) डाटा अपलोड करने के पश्चात्, संदर्भ की पावती, सचिवालय द्वारा सूक्ष्म या लघु उद्यम इकाई को ई—मेल के माध्यम से जारी की जायेगी.

(5) काउंसिल, प्रारंभिक चरण में शुल्क या सूक्ष्म या लघु उद्यम इकाई के संदर्भ दर्ज करने की सक्षमता के संबंध में संदर्भ का परीक्षण कर सकेगा.

(6) मामले में यदि संदर्भ अथवा इसमें दर्ज ब्यौरे, काउंसिल द्वारा संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो वह संदर्भ को लौटा सकता है.

(7) काउंसिल या तो मामले का स्वयं समाधान कर सकता है अथवा समाधान के लिए किसी संस्था की सहायता ले सकता है और यदि वह इस तरह का निर्णय लेता है तो वह पक्षकारों को संस्था भेज सकता है.

(8) संस्था, जिसको यह मामला निर्दिष्ट किया गया है, इसका समाधान करने का प्रयत्न करेगा और वह यथाशीघ्र संभव, इसकी रिपोर्ट समान्यतया काउंसिल को संदर्भ से 15 दिनों के भीतर भेज देगा.

(9) जहां समाधान सफल नहीं होता है और पक्षकारों के बीच, बिना किसी समझौता के, निरस्त हो जाता है, वहां काउंसिल या तो स्वयं विवाद पर अग्रिम कार्रवाई अर्थात् मध्यस्थता करेगा अथवा किसी संस्था को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करेगा.

(10) यदि मामला संस्था को निर्दिष्ट किया जाता है, तो संस्था, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अनुसार इस मामले की मध्यस्थता करेगा और अधिनिर्णय काउंसिल को निर्दिष्ट करेगा.

(11) काउंसिल, अधिनिर्णय को अंतिम रूप देने के पश्चात् अथवा संस्था से अधिनिर्णय प्राप्त होने के पश्चात्, मामले पर विचार करेगा और मामलें में समुचित अंतिम आदेश पारित करेगा.

8. **काउंसिल की बैठकें और कोरम.—**

(1) काउंसिल की बैठकें सामान्यतया सात दिनों की नोटिस के पश्चात् आयोजित की जायेगी.

(2) तथापि, अनिवार्यता के मामले में, बैठक ऐसी अल्पावधि नोटिस पर, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझा जाए, आयोजित की जा सकती है.

(3) बैठक संबंधी सभी नोटिस/संसूचना याचिकाकर्ता को संसूचित की जाएगी, जिसमें एसएमएस और ई–मेल द्वारा सूचना देना शामिल है।

(4) काउंसिल, माह में न्यूनतम एक बार, नियमित बैठकें आयोजित करेगा.

(5) यदि सदस्यों की संख्या तीन या चार हो तो बैठक का कोरम दो होगा, और यदि सदस्यों की संख्या पांच है तो यह तीन होगा.

9. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल का निर्णय.–**

(1) काउंसिल का कोई भी निर्णय काउंसिल की बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा ही किया जायेगा.

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल को धारा 18 के अंतर्गत किए गए प्रत्येक संदर्भ का निर्णय, ऐसे संदर्भ करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जायेगा.

(3) इस उद्देश्य के लिए सृजित वेब पोर्टल पर सचिवालय काउंसिल की प्रत्येक बैठक की कार्रवाई विवरण अपलोड करेगा.

(4) वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली काउंसिल द्वारा स्वयं अथवा किसी संस्थान अथवा केन्द्र द्वारा जिसे मामला काउंसिल द्वारा भेजा गया हो, किसी भी डिक्री, अधिनिर्णय अथवा अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन को, किसी भी न्यायालय द्वारा, तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता (जो आपूर्तिकर्ता न हो) ने, ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित रीति में डिक्री, अधिनिर्णय अथवा जैसी भी स्थिति हो, अन्य आदेश के संबंध में राशि का पचहत्तर प्रतिशत जमा न करा दिया हो.

10. **प्रगति रिपोर्ट.–**

(1) काउंसिल, इस प्रयोजन हेतु सृजित वेब पोर्टल पर काउंसिल का वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित आधारभूत सूचना अपलोड करेगा.

(2) काउंसिल, अधिनियम में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को समय–समय पर अपेक्षित रीति तथा प्ररूप में, जानकारी देगा.

11. **समस्याओं का निराकरण.–**

(1) आरंभिक सभी कार्यवाहियां, पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार निरंतर जारी रहेंगी.

(2) यदि इन नियमों के क्रियान्वयन के दौरान कोई कठिनाई उद्भूत होती हो, तो इसका समाधान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.

12. **निरसन.–** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

अनुसूची—एक

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल छत्तीसगढ़ को बकाया राशि भुगतान करने हेतु संदर्भ प्रारुप

प्रति,

अध्यक्ष,
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़,
उद्योग भवन, रायपुर (छ.ग.)

संदर्भ : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अंतर्गत

मैं मेसर्स .... का अधिकृत प्रतिनिधि हूं. यह फर्म सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के प्रावधानों के अनुसार एक सूक्ष्म/लघु इकाई है. इस इकाई ने मेसर्स .... को वस्तुएं आपूर्ति किया है, किन्तु इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है. अतः मैं इस इकाई से व्यथित हुआ हूं तथा संदर्भ प्रस्तुत करना चाहता हूं. इस प्रकरण से संबंधित जानकारियाँ निम्नानुसार हैः

1. उद्योग आधार नम्बर ....
(**टीप—** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई, udyogaadhar.gov.in (http://udyogaadhar.gov.in) पर उद्योग आधार पंजीकृत कर सकता है)

2. आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक (दिन/माह/वर्ष):

3. व्यथित सूक्ष्म या लघु उद्यम इक ाई का विवरण
   3.1 अधिकृत प्रतिनिधि का नाम (अधिकार पत्र संलग्न करें):

   3.2 इकाई का नामः

   3.3 पता
   (पिन कोड सहित):

   3.4 राज्यः

   3.5 जिलाः

   3.6 मोबाइल नंबरः

   3.7 ई—मेलः

   3.8 व्यथित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का प्रकार :
   सूक्ष्म लघु

4. प्रतिवादी (क्रेता) का नामः
   4.1 पता
   (पिन कोड सहित):

4.2 राज्यः

4.3 जिलाः

4.4 मोबाइल नंबरः

4.5 ई–मेलः

4.6 प्रतिवादी (क्रेता) का वर्ग (सीपीएसयू/पीएसयू राज्य/..)

5. भुगतान योग्य मूल राशि (रू.):

6. अब तक दावा किये गये ब्याज राशि ....

7. भुगतान किया गया फीस, यदि कोई होः
 7.1 राशिः
 7.2 प्रकारः

8. उपरोक्त संदर्भित के अनुसार वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में दावा के समर्थन में संलग्न दस्तावेजः
 (एक) ....
 (दो) ....
 (तीन) ....
 (चार) ....

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी, मेरे सम्पूर्ण ज्ञान से सही है. यदि कोई जानकारी आगे अपेक्षित हो, तो उसे तत्काल संबंधित प्राधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी. मैं यह भी घोषित करता हूं कि मैं इस विवाद के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं किया हूं.

हस्ताक्षर ....
नाम ....
(व्यथित एमएसई की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-10/2017/11/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद के साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

विवाद की स्थिति में इस नियम का अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 17th July 2017

No. F- 20-10/2007/11/(6).— Whereas the State Government is satisfied that it is necessary in the public interest to make rules for facilitating the working of Micro and Small Enterprises Facilitation Council/Councils;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) and sub-section (2) of Section 30 read with sub-section (3) of the Section 21 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the Chhattisgarh, Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2006, the State Government, hereby, makes the following rules, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2017;

(2) These rules shall extend to the whole State of Chhattisgarh;

(3) These shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) "Arbitration and Conciliation Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);

(c) "Council" means the Chhattisgarh Micro and Small Enterprises Facilitation Council, established by the Government under Section 20 of the said Act;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Council appointed under clause(i) of sub-section (1) of Section 21 of the Act;

(e) "Government" means the Government of the Chhattisgarh;

(f) "Institute" means any institution or centre providing alternate dispute resolution services referred to in sub-section (2) and (3) of Section 18 of the Act;

(g) "Member" means a member of the Council;

(h) "MSE" units means a Micro or Small Enterprises as per the provisions of Act.

(i) "Section" means a Section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

3. **Setting up of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council.—**

(1) The Government shall establish at least one Micro and Small Enterprises Facilitation Council. Provided that, if the work so demands, it can also set up more Micro and Small Enterprises Facilitation Councils exercising such jurisdiction and for such area as may be specified in the Notification.

(2) The Government may also give secretariat assistance to Micro and Small Enterprises Facilitation Council so appointed. It may also designate some official of the Secretariat to work as the Secretary to the Council, who can be empowered by Micro and Small Enterprises Facilitation Council to issue notices or orders on behalf of the Council.

(3) The Government may provide a legal expert to assist the Council.

(4) The Government may specify any fee and/or processing charges to be paid while filing application.

(5) The secretariat for Council may have its own seal.

4. **Manner of appointment of Chairperson.—** The Government shall appoint Director of Industries Department as Chairperson of the Council keeping in view the provision as exists in clause (i) of sub-section (1) of Section 21 of the Act. However, another senior officer can also be designated as Chairperson of the Council for a limited purpose.

5. **Manner of appointment of Members of Micro and Small Enterprises Facilitation Council.—**

(1) The Micro and Small Enterprises Facilitation Council shall consist of not less than 3 members but not more than 5 members, including the Chairperson.

(2) Member shall be appointed as per the provisions of Clause (ii), (iii) and (iv) of sub-section (1) of Section 21 of the Act.

(3) (i) A member appointed under clause (i), (iii) and (iv) of sub-section (1) of Section 21 shall remain member of the Council until they represent that category or interest, for which they are appointed.

(ii) Members appointed under clause (ii) of sub-section (1) of Section 21 shall remain member of the council till the completion of 2 years from the date of joining in the facilitation council or fulfillments of the condition of sub-rule (6), whichever is earlier. Member appointed under clause (ii) of sub-section (1) of Section 21 shall not be eligible for reappointment.

(4) When a member of the council dies or resigns or is deemed to have resigned or is removed from office or becomes incapable of acting as a member, the Government may appoint another person to fill that vacancy.

(5) Any member of the Council may resign from the Council by tendering one month's notice in writing to the Government.

(6) The Government may remove any member from office,—

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) if he becomes bankrupt or insolvent or suspends payment to his creditors; or

(c) if he is convicted of any offence which is punishable under the Indian Penal Code (Act 45 of 1860); or

(d) if he abstains himself from three consecutive meetings of the council without the leave of the Chairperson, and in any case from five consecutive meetings; or

(e) acquires such financial or other interest as is likely, in the opinion of the Government, to affect prejudicially his functions as a member.

6. **Honorarium to the Members of the Council.—** The remuneration, honorarium or fees and any allowances that may paid to the members shall be at rates as approved or notified by the Government.

7. **Procedure to be followed in the discharge of functions of the Council.—**

(1) An aggrieved Micro or Small Enterprises unit can move a reference to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council, having jurisdiction of the area, in the format provided in Schedule I of these rules. The reference must have the Udyog Aadhar Memorandum number (UAM), mobile number and email address of aggrieved Micro or Small Enterprises unit as provided in Schedule I.

(2) Such references should be attached with fee or processing charges as notified by the Government, as provided under sub-rule(4) of Rule 3 and with an undertaking from aggrieved Micro or Small Enterprises unit that it has not moved any reference before the Civil Court on the same dispute.

(3) Upon receipt of reference from the supplier Micro or Small Enterprises unit, the Secretariat of the Council shall enter the data in the web portal created for this purpose.

(4) After entering the date, acknowledgement of the reference shall be issued by the Secretariat to the applicant Micro or Small Enterprises unit through email.

(5) The Council may examine the reference at preliminary stage to check regarding the fee or competency of MSE unit to file the reference.

(6) In case if the reference or the particulars entered in it are not found to the satisfaction of Council, it may return the reference.

(7) The Council shall either itself conduct conciliation in the matter or seek the assistance of any institute for conducting the conciliation and if it decides to do so, it shall refer the parties to the Institute.

(8) The institute to which the issue is referred shall make efforts to bring about conciliation and it shall submit its Report to the Council as soon as possible, usually within 15 days from reference to the Council.

(9) Where the Conciliation is not successful and stands terminated without any settlement between the parties, the Council shall either itself take up the dispute for further action, i.e., arbitration or refer it to an institute for the same.

(10) If the matter is referred to the institute, the institute shall arbitrate the issue as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) and refer the award to the Council.

(11) The Council after finalizing the award, or receiving the award from the Institute shall consider the case and pass appropriate final order in the matter.

8. **Meeting of the Council and Quorum.—**

(1) The Meeting of the Council shall be ordinarily held after giving seven days notice.

(2) However, in case of urgency, it can be called at such short notice as the Chairperson may find suitable.

(3) All notices/communication for the meeting shall be informed to the petitioner which may include SMS and email communication.

(4) The Council shall hold regular meetings, at least once a month.

(5) The quorum of the meeting will be two in case if the number of member is three or four, and it will be three if the number of members is five.

9. **Decisions of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council.—**

(1) Any decision of the Council shall be made by a majority of its members present at the meeting of the council.

(2) Every reference made under Section 18 to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council shall be decided within a period of ninety days from the date of making such a reference.

(3) The Secretariat shall upload the proceedings of every meeting of the Council on the web portal created for the purpose.

(4) No application for setting aside any decree, award or other order made either by the Council itself or by any institution or centre providing alternate dispute resolution

service to which a reference is made by the Council, shall be entertained by any court unless the appellant (not being a supplier) has deposited with it seventy- five percent of the amount in terms of the decree, award or, as the case may be, the other order in the manner directed by such court.

10. **Progress Report.—**
    (1) The Council shall upload the basic information including the annual progress report of the Council on the web portal created for the purpose.

    (2) The Council shall provide information to the Member Secretary of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the Act in the manner and form required from time to time.

11. **Removal of difficulties.-**
    (1) All the proceedings initiated as per earlier Rules shall continue unabated.

    (2) If any difficulty arises during the course of implementation of these Rules, the same shall be clarified by the State Government.

12. **Repeal.—** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

    Provided that any order made or any action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. CHHABLANI, Special Secretary.

SCHEDULE - I

Format For Reference on delayed Payment to Micro and Small Enterprises Facilitation Council Chhattisgarh

To

The Chairperson,
Micro and Small Enterprises Facilitation Council,
Directorate of Industries, Chhattisgarh,
Udhyog Bhawan, Raipur (C.G.)

Ref. U/s 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

I am authorised representative of M/s .... This firm is a micro/small unit as per provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006). This unit has supplied the goods to M/s..........................., but it has not been paid as per provisions of Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006). I therefore, aggrieved with this unit, wish to file a reference. The information pertaining to the case is as under:

1. Udyog Aadhaar No. ....
(**Note—** Micro, Small and Medium Enterprises unit can register Udyog Aadhaar on udyogaadhaar.gov.in (http://udyogaadhaar.gov.in) :

2. Date of Filing Application (DD/MM/YYYY) :

3. Details of aggrieved Micro or Small Enterprises Unit

    3.1 Name of Authorized representative :
    (authorization to be attached)

    3.2 Name of the Unit :

    3.3 Address
    (including pin code):

    3.4 State

3.5 District :

3.6 Mobile Number :

3.7 Email

3.8 Type of aggrieved Micro or Small Enterprise

Micro Small

4. Name of Respondent (Buyer) :

4.1 Address
(including Pin code) :

4.2 State

4.3 District :

4.4 Mobile Number :

4.5 Email

4.6 Category of Respondent (Buyer) [CPSU/State PSU/....................................]

5. Principal Amount Payable (Rs.) :

6. Interest claimed as on .... :

7. Fee paid, if any :

7.1 Amount

7.2 Methodology

8. Documents enclosed in support of claim in respect of supply of goods or services rendered as referred above :

(i) ....
(ii) ....
(iii) ....
(iv) ....

I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information that may be further required, shall be provided immediately before the concerned authority. I, further declare that I have not filed / preferred any appeal before any court on the same dispute.

Signature ....

Name :..

(Authorized Signatory on behalf of aggrieved MSE)

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक 7356/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	भैंसमुड़ी	1.72 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-भैंसमुड़ी, प्रभावित खसरा क्रमांक 609, 569, 62, 570, 147, 574, 112/1, 114/3, 114/5, 114/4, 152/1, 148, 135/1, 146, 140/2, 140/1, 144, 169, 168, 167, 64, 63, 61, 166, 119.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-07-2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय तहसीलदार तहसील मगरलोड में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-भैंसमुड़ी.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 22
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 2072.90 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों मे जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.

10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक 7358/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	सोनपैरी	1.44 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-सोनपैरी, प्रभावित खसरा क्रमांक 183, 182, 181, 180, 179, 183, 476, 179, 463, 464, 172, 498, 171, 177, 452, 466, 496, 493/5, 494, 491, 492, 488, 480/1, 481, 482, 465, 480/2, 477, 470.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-07-2017 को प्रात: 11.00 बजे स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत-सोनपैरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-सोनपैरी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां

8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों मे जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक 7360/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	मगरलोड	1.274 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-मगरलोड, प्रभावित खसरा क्रमांक 594/1, 597/9, 597/3, 586/2, 585, 373/1, 583/1, 583/2, 534, 388, 389, 387, 386, 394/3, 4 क, 394/3, 4 ख, 394/2, 400/1, 3, 398, 442, 399, 425/2, 426/1, 424, 427, 427/1, 427/7, 427/5, 438, 439, 440/2, 441/1, 450/1, 452, 453/2, 466, 449/2, 579, 486/4.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-07-2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय तहसीलदार तहसील मगरलोड में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-मगरलोड.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	36
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक

4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों मे जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक 7362/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	बनियातोरा	1.56 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-बनियातोरा, प्रभावित खसरा क्रमांक 119, 120, 122, 124, 127/2, 127/3, 128, 130, 132, 93/3, 93/4, 93/5, 137, 140, 142, 143, 79, 77/5, 75, 71, 70, 69, 90/3, 90/2.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-07-2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-सोनपैरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-बनियातोरा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों मे जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक 7364/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	मड़ेली	0.09 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-मड़ेली. प्रभावित खसरा क्रमांक 690.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-07-2017 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत मड़ेली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-मुड़ेली.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों मे जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक 7366/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	बकोरी	1.82 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				भू-अर्जन, ग्राम-बकोरी, प्रभावित खसरा क्रमांक 328, 326, 291, 298, 299, 325, 538, 537, 539, 542, 540, 544, 560, 561, 345, 562, 667, 673/1, 674, 675, 456, 446, 445, 444, 442, 440, 436.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-07-2017 को प्रात: 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत मड़ेली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-बकोरी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों मे जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्रमांक 650/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बसना	हेड़सपाली	11.550 हेक्ट.	बिलानाला जलाशय योजना से 13 ग्रामों को 1238 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए हेड वर्क निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम हेड़सपाली.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-08-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान तहसील कार्यालय सरायपाली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बिलानाला जलाशय योजना से 13 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई हेतु हेड वर्क निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. कुल 2441.39 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	बिलानाला जलाशय योजना से 13 ग्रामों को 1238 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं, इस हेतु कलेक्टर महासमुंद को राशि रु. 2282280.00 धनादेश क्र.-871027, दिनांक 27-02-2017 को जमा कर दिया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक 9936/क/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	सरईपाली	0.028 हेक्ट.	बालपुर-रींवापार (दर्राभांठा)-सरईपाली-खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-08-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बालपुर-रींवापार (दर्राभांठा)-सरईपाली-खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 166.33 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	इस पुल के बनने से 12 ग्रामों की विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय से आवागमन की सीधी सुविधा बारहमासी हो जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110542 दिनांक 15-12-2016 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक 9939/क/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	दर्राभांठा	0.360 हेक्ट.	बालपुर-रींवापार (दर्राभांठा)-सरईपाली-खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-08-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन रीवांपार नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बालपुर-रींवापार (दर्राभांठा)-सरईपाली-खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 166.33 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	इस पुल के बनने से 12 ग्रामों की विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय से आवागमन की सीधी सुविधा बारहमासी हो जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110542 दिनांक 15-12-2016 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक 9942/क/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	खरवानी	0.080 हेक्ट.	रीवापार-खरवानी-सोहागपुर मार्ग पर सोन नदी पर उच्च स्तरीय सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18-08-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रीवापार-खरवानी-सोहागपुर मार्ग पर सौन नदी पर उच्च स्तरीय सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 287.81 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	इस पुल के बनने से 11 ग्रामों की विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय से आवागमन की सीधी सुविधा बारहमासी हो जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110542 दिनांक 15-12-2016 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2014-15.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा द्वारा ग्राम लोईग प.ह.नं. 40 तहसील एवं जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 6.734 हे. का एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 11 (1) की अधिसूचना तथा धारा 19 की घोषणा का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 02-10-2015 तथा दिनांक 03-06-2016 को कराया गया है.

चूंकि अब महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 9/1 रकबा 0.089 हे. भूमि रेल लाईन में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 93(1) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण—

ग्राम—लोईग, प.ह.नं. 40

क्रमांक (1)	खसरा नम्बर (2)	रकबा (हे. में) (3)
1.	9/1	0.089
	कुल खसरा -1	**कुल रकबा 0.089 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्योरा अनुविभागीय अधीकारी (रा.) सह भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2014-15.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा द्वारा ग्राम-एकताल, प.ह.नं.-08, तहसील-पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 20.709 हे. एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 11 (1) की अधिसूचना तथा धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 02-10-2015 तथा दिनांक 03-06-2016 को कराया गया है.

चूंकि अब महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 42 कुल रकबा 4.968 हे. भूमि रेल लाईन में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93(1) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण—

ग्राम—एकताल, प.ह.नं. 08

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)	क्र. (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	क्र. (7)	ख. नं. (8)	रकबा (9)	क्र. (10)	ख. नं. (11)	रकबा (12)
1.	901/1	0.028	11.	227	0.033	21.	226	0.103	32.	798/4	0.081
2.	309/2	0.040	12.	760/1	0.357	22.	237	0.183	33.	767/3	0.081

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	287/1	0.041	13.	900/1	0.081	23.	287/4	0.068	34.	287/2	0.04
4.	309/1	0.060	14.	306	0.053	24.	290	0.025	35.	310/1	0.081
5.	271/4	0.040	15.	307/2	0.040	25.	301	0.016	36.	289/4	0.040
6.	225	0.041	16.	312/3	0.113	26.	777/1	0.122	37.	292/5	0.109
7.	304/3	0.062	17.	779/1	0.049	27.	300/1	1.922	38.	902/2	0.047
8.	308	0.028	18.	800	0.102	28.	797/2	0.049	39.	299/1	0.065
9.	208/2	0.122	19.	289/3	0.037	29.	885/1	0.101	40.	899/1	0.001
10.	219/4क	0.291	20.	799/4	0.025	30.	798/1	0.081	41.	899/2	0.001
						31.	798/2	0.028	42.	770/1	0.081

कुल खसरा नं. 42 रकबा 4.968

भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2014-15.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा द्वारा ग्राम-भिखारीमाल, प.ह.नं.-37, तहसील-रायगढ़ व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 8.960 हे. एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 11 (1) की अधिसूचना तथा धारा 19 की घोषणा का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 02-10-2015 तथा दिनांक 03-06-2016 को कराया गया है.

चूंकि अब महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 13 कुल रकबा 1.341 हे. भूमि रेल लाईन में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 93(1) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण—

ग्राम—भिखारीमाल, प.ह.नं. 37

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)	क्र. (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)
1.	50/1	0.016	8.	65/1	0.111
2.	66	0.026	9.	57	0.057
3.	70/31	0.081	10.	131/1	0.287
4.	65/2	0.052	11.	70/68 ख	0.056
5.	67	0.491	12.	70/62	0.008
6.	125/4	0.019	13.	70/33	0.020
7.	121/1	0.117			

कुल खसरा 13 रकबा 1.341 हे. भूमि

भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

रायगढ़, दिनांक 2 जून 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (4) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में दर्शित प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 3-6-2016 को प्रकाशित किया गया था. ग्राम कोतरलिया के प्रकरण में प्रस्तावित एलायेमेन्ट नक्शे में पायी गई त्रुटि एवं अधिक संख्या में प्रस्तुत दावा/आपत्तियों के निराकरण में होने वाले विलम्ब के कारण प्रकरण में दिनांक 03-06-2017 तक नियत समयावधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समयसीमा वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़ प.ह.नं. 40	कोतरलिया	22.724	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइंस परियोजना, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बादीमाल प.ह.नं. 15	0.672	कार्यालय अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत केलो मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डरवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.386 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	20	0.004
	21/2	0.032
	21/3	0.170
	31/4	0.016
	21/4	0.024
	21/5	0.077
	21/6	0.045
	21/7	0.065
	22	0.085
	23	0.222
	52/2	0.024
	31/1	0.065
	31/7	0.008
	31/3	0.186
	31/5	0.121
	31/6	0.016
	(1)	(2)
	31/6	0.016
	32	0.218
	33	0.008
योग	18	1.386

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक/13771/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-रामभाँठा, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
873/5, 875/5	0.020

	(1)	(2)
	344/3	0.012
	334/1क	0.016
योग	3	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामभाँठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक/13773/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	333/1	0.028
योग	1	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक/13775/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-काँसा, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	24/1	0.077
	742/2	0.028
	23/1	0.020
	22/1ङ, 33/3घ	0.028
योग	4	0.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काँसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (नगर भूमि सीमा शाखा) रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक/1513/रीडर/न.भू.सी./2017.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक F-6-62/2008 सात-3 रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिये गये निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये श्री एस. एन. राठौर (आई.ए.एस.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

ओ. पी. चौधरी,
कलेक्टर.

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्र. 377/छ.ग.रा.मं./बिलासपुर/2017.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 12-07-2017 respectively handed over charge of the office of the Member, Board of Revenue, C.G., Bilaspur vide GAD's oreder No. E-1-1/2017/1/2, Naya Raipur, dated 11-07-2017 and the the officer receiving charge travelled during joining time on + P.M. (mention dates).

बिलासपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्र. 378/स्थापना/रा.मं./2017.—Certified that we have in the FN of this day on 14-07-2017 respectively made over and received charge of the office of the OSD-Cum-Member, Board of Revenue, Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E-1-1/2017/1/2, Naya Raipur, dated 11-07-2017 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 10.00 AM (Mention dates).

बिलासपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्र. 381/स्थापना/रा.मं./2017.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 314/स्थापना/रा.मं./2016, बिलासपुर दिनांक 27-05-2016 को अधिक्रमित करते हुए प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्वतन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

राजस्व मण्डल की जो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-7, 8 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण :—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री के. डी. पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर.
2.	श्रीमती रेणु जी. पिल्ले सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला मुंगेली, जशपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा. समय-समय पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा सौंपे गये अन्य प्रकरण.

(स) **स्थगन आवेदन पत्र**—अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी —

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री के. डी. पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्रीमती रेणु जी. पिल्ले सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.
2.	श्रीमती रेणु जी. पिल्ले सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री के. डी. पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.

(द) न्यायहित में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा. स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग. द्वारा संपूर्ण छ.ग. कार्यक्षेत्र में उपरोक्त व्यवस्था में किसी बात का होते हुए भी न्यायहित में किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से सुनवाई किया जा सकता है.

(इ) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है :—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य		सुनवाई हेतु स्थान
1.	श्री के. डी. पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1.	राजस्व मण्डल, मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यतः प्रथम एवं तृतीय गुरुवार एवं शुक्रवार.
		2.	सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.
2.	श्रीमती रेणु जी. पिल्ले सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1.	राजस्व मण्डल, मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यतः माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.
		2.	सर्किट कोर्ट, जगदलपुर (बस्तर) प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.

(ई) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(उ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

(ऊ) उपरोक्त न्यायालयीन दिवसों संबंधी व्यवस्था में किसी बात के होने के बावजूद भी न्यायहित में यदि आवश्यक हो तो शासकीय आवास दिवसों को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 392/स्थापना/रा.मं./2017.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 381/स्थापना/रा.मं./2017, बिलासपुर दिनांक 17-07-2017 में आंशिक संशोधन करते हुये सदस्य, राजस्व मण्डल छ.ग., बिलासपुर को आबंटित जिला सरगुजा को अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छ.ग. बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

हस्ता./-
अवर सचिव.

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक/क/रीडर/2017.—इस न्यायालय द्वारा श्री सोनू भदौरिया पिता श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी नयापारा जगदलपुर को निरूद्ध रखे जाने के लिए इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा 2 के सहपठित धारा (3) के तहत् निरोध आदेश पारित किया गया है. उक्त आदेश का अनुमोदन छ.ग. शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-4-82/गृह-सी/2017 दिनांक 10-07-2017 द्वारा किया गया है.

निरोध आदेश की तामिली संबंधित व्यक्ति पर किये जाने के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पत्र क्रमांक पुअ/बस्तर/रीडर-1/674-बी/17 दिनांक 11-07-2017 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि संबंधित व्यक्ति अपने दिये गये पते पर नहीं है. सकुनत से फरार है.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 7 में जिला दण्डाधिकारी को फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां प्रदत्त है, में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निरोध आदेश का पालन श्री सोनू भदौरिया के फरार हो जाने से पालन नहीं हो रहा है.

अतएव उक्त धारा 7 के उपधारा (1) ख के तहत् यह आदेश पारित किया जाता है कि श्री सोनू भदौरिया पिता बृजेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी नयापारा जगदलपुर जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में दिनांक 31-07-2017 को समय अपरान्ह: 4.00 बजे अपने उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें.

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक/क/रीडर/2017.—इस न्यायालय द्वारा श्री मलकित सिंह गैंदु पिता श्री मोहिन्दर सिंह गैंदु निवासी जगदलपुर को निरूद्ध रखे जाने के लिए इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा 2 के सहपठित धारा (3) के तहत् निरोध आदेश पारित किया गया है. आदेश का अनुमोदन छ.ग. शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-4-77/गृह-सी/2017 दिनांक 03-07-2017 द्वारा किया गया है.

निरोध आदेश की तामिली संबंधित व्यक्ति पर किये जाने के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पत्र क्रमांक पुअ/बस्तर/रीडर-1/675-बी/17 दिनांक 11-07-2017 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि संबंधित व्यक्ति अपने दिये गये पते पर नहीं है. सकुनत से फरार है.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 7 में जिला दण्डाधिकारी को फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां प्रदत्त है, में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निरोध आदेश का पालन श्री मलकित सिंह गैंदू के फरार हो जाने से पालन नहीं हो रहा है.

अतएव उक्त धारा 7 के उपधारा (1) ख के तहत् यह आदेश पारित किया जाता है कि श्री मलकित सिंह गैंदू पिता श्री मोहिन्दर सिंह गैंदू निवासी नयापारा जगदलपुर जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में दिनांक 31-07-2017 को समय अपरान्ह: 4.00 बजे अपने उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें.

धनंजय देवांगन,
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 14 जुलाई 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/1371/E.L.U/नग्रानि/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (4) के तहत् पिथौरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र के भाग-1, पृ.क्र. 1103-04 में दिनांक 30-06-2017 को मुद्रित हुई है, में "संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश" के स्थान पर "सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द" पढ़ा जावे.

एस. आर. अजगरा,
प्र. सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th July 2017

No. 921/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the

Sessions Division mentioed in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Pravin Kumar Pradhan, Legal Advisor, C.G. Lok Aayog.	Raipur	Korba	Korba	I Additional District and Sessions Judge.
2.	Ku. Sunita Sahu, I Additional District and Sessions Judge.	Korba	Mahasamund	Mahasamund	I Additional District and Sessions Judge.

The Registry Order No. 885/Confdl./2017/II-2-1/2017 dated 28-06-2017, so far it relates to the transfer of Shri Yashvant Kumar Sarthi, Deputy Secretary, Chhattisgarh Lok Ayog, Raipur and his posting as I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, cancelled.

Bilaspur, the 10th July 2017

No. 923/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hareby, given additional charge of the Courts as mentioned in Column No. (3) until further orders :—

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Shri Santosh Kumar Aditya, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Janjgir-Champa.	Special Judge under S.C./S.T. (P.A.) Act, Janjgir-Champa.
2.	Shri Prafull Sonwani, I Additional District & Sessions Judge, Baloda-Bazar.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Baloda-Bazar.
3.	Smt. Mamta Patel, Additional District & Sessions Judge, Bemetara.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Bemetara.
4.	Smt. Girija Devi Maravi, I Additional District & Sessions Judge, Surajpur.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Surajpur.
5.	Ku. Saroj Nand Das, III Additional District & Sessions Judge, Raigarh.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh.

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIA, Registrar General.

Bilaspur, the 4th August 2017

No. 58/L.G./2017/II-3-35/2007.—Shri Ramshankar, the then Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 04 days from 18-05-2017 to 21-05-2017 along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 02 days on 03-07-2017 & 04-07-2017 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ramashankar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th August 2017

No. 59/L.G./2017/II-2-13/2017.—Shri Yogesh Pareek, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 05 days from 18-07-2017 to 22-07-2017 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pareek, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 101 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th August 2017

No. 60/L.G./2017/II-2-4/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 05 days form 10-07-2017 to 14-07-2017 along with permission to leave headquarters from 09-07-2017 to 16-07-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th August 2017

No. 61/L.G./2017/II-2-20/2016.—Shri Dileshwar Singh Rathiya, Additional Principal Judge, Family Court, Bilaspur, is hereby, granted earned leave for 04 days form 17-06-2017 to 20-06-2017 in continuation of summer vacation of summer vacation form 12-06-2017 to 16-06-2017 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rathiya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th August 2017

No. 62/L.G./2017/II-3-23/2010.—Shri Shailesh Kumar Tiwari, Judge Family Court, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 11 days from 27-06-2017 to 07-07-2017 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 24-06-2017 till before the Court of 10-07-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th August 2017

No. 63/L.G./2017/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 03 days from 10-07-2017 to 12-07-2017 along with permission to leave headquarters from 09-07-2017 to 12-07-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHAUHAN, Additional Registrar (ADMN.).